न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद, स्थान— बस्ती
मूलवाद सं0 47/1984
छांगुर बनाम त्रिशंकु बहादुर

<u>08.05.2018</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वादबिन्दु सं0 12 एवं 13 के निस्तारण हेतु नियत है।

<u>निस्तारण वादबिंदु सं0 12</u>

वादबिंदु सं0 12 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या काउन्टरक्लेम अल्पमूल्यांकित है?

उपरोक्त वादबिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने जरिए जवाबुल जवाब काउन्टरक्लेम को अल्पमूल्यांकित बताया है, जबकि काउन्टरक्लेमकर्ता ने काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन पर्याप्त होना होना कहा है। काउन्टरक्लेमकर्ता ने काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन मु0 2500/—रू0 किया है तथा उसके सापेक्ष न्यायशुल्क अदा किया है। न्यायालय की राय में काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन किसी भी स्थिति में मु0 26,000/—रू0 से कम नहीं होना चाहिए। वादबिंदु सं0 12 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>आदेश</u>

काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन मु0 26,000/—रू0 निर्धारित किया जाता है। काउन्टरक्लेमकर्ता बढ़े हुए मूल्यांकन के अनुसार पैरवी अंदर सप्ताह करे।

<u>निस्तारण वादबिन्दु सं0 13</u>

वादबिन्दु सं0 13 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त वादबिन्दु का निस्तारण वादबिन्दु सं0 12 के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा वादबिन्दु सं0 12 में काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा किया गया मूल्यांकन अपर्याप्त माना गया है। काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर ही न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है। काउन्टरक्लेमकर्ता बढ़े हुए मूल्यांकन के अनुसार न्यायशुल्क अदा करे। वादबिन्दु सं0 13 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। पत्रावली दिनांक 15.05.2018 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0
खलीलाबाद, स्थान—बस्ती